न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:–14/2024 तारीख रजू:–29.11.2024

जीसीएमएस नंबर:–2024/154

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

रेवड़मल पुत्र फूलचंद जाति गुर्जर, निवासी रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

–अप्रार्थी

उपस्थित:–
वकीलप्रार्थी:– श्री छोटूसिंह गुर्जर, एडवोकेट
वकील प्रतिप्रार्थी :– तहसीलदार, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:– 19.03.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 260,267,351,352, 855/266, 859/274, 861/281 कुल किता 07 कुल रकबा 2.9346है0 ग्राम रेवतपुरा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है जो गांव की आम बोलचाल की भाषा में प्रार्थी को रेवड़्या पुत्र फूला गुर्जर के नाम से पुकारते है एवं इसी कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रेवड्या पुत्र फूला गुर्जर अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम रेवड़मल गुर्जर पुत्र फूलचंद गुर्जर अंकित है और रेवड़्या व रेवड़मल गुर्जर मुझ नाम का एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रेवड़्या पुत्र फूला गुर्जर के स्थान पर रेवड़मल गुर्जर पुत्र फूलचंद गुर्जर निवासी रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये।
3. यह है कि अप्रार्थी तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक [illegible]/2025/30 दिनांक 10.01.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की है कि–
   - ❖ पटवार मण्डल जौला के राजस्व ग्राम रेवतपुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 147 के खसरा नम्बर 260/0.17. 267/0.28, 351/0.93, 352/0.92, 855/266/0.1624, 859/274/0.15, 861/281/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.04.01 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

ह0
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

3222 कुल किता 7 रकबा 2.9346 रेवड्या पुत्र फूला जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज है।

- ❖ उक्त खसरा नम्बरान पर वर्तमान में खातेदार का कब्जा काश्त है।
- ❖ खातेदार ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर नामान्तकरण दर्ज करते समय रेवडया पुत्र फूला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी समस्त दस्तावेजों में रेवडमल पुत्र फूलचन्द जाति गुर्जर दर्ज है।
- ❖ यह है कि प्रार्थी का नाम रेवड्या पुत्र फूला दर्ज होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे समस्या का सामना कर पड रहा है।
- ❖ अतः राजस्व रिकार्ड में रेवड्या पुत्र फूला के बजाय रेवडमल पुत्र फूलचन्द दर्ज किया जाना उचित होगा।

4. बहस अंतिम सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या कार्ड एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन–आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रेवड़मल पुत्र फूलचन्द गुर्जर अंकित है, जबकि जमाबंदी संवत् 2075–2078 के नवीन खाता संख्या 147 वाके ग्राम रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में प्रार्थी का नाम रेवडया पुत्र फूला गुर्जर अंकित है, जो कि गलत है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम रेवडया पुत्र फूला के स्थान पर रेवड़मल पुत्र फूलचन्द गुर्जर निवासी रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर किया जाना उचित बताया है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के नवीन खाता संख्या 147 में प्रार्थी का नाम रेवडया पुत्र फूला के स्थान पर रेवड़मल पुत्र फूलचन्द गुर्जर निवासी रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है कि एवं ग्राम रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के नवीन खाता संख्या 147 में प्रार्थी का नाम रेवडया पुत्र फूला के स्थान पर रेवड़मल पुत्र फूलचन्द गुर्जर निवासी रेवतपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.04.01 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)